

**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

**पत्रक भाग -दो**

**मंगलवार, दिनांक 1 जून, 2021 (ज्येष्ठ 11, 1943)**

**माननीय श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.**

कार्यपालिक दण्डाधिकारी, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग की ओर से यह सूचना दी गई है कि -

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107, 116

(3) के अधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री विद्यारतन भसीन को दिनांक 22.05.2021 को सायं 17:00 बजे थाना भिलाई नगर गिरफ्तार किया गया तथा उसी समय निःशर्त रिहा कर दिया गया।

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**  
**प्रमुख सचिव**  
**छत्तीसगढ़ विधान सभा.**